कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0/युगलपीठ/ /2026 दि0 लखनऊः जनवरी 19, 2026

–:: संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के आदेशांक 1552/2025 दिनांक 16.12.2025 के द्वारा माह जनवरी, 2026 में जनपद फैजाबाद (अयोध्या) में युगलपीठ का गठन दिनांक 22.01.2026 से 23.01. 2026 तक किया गया है।

सदस्य, पीठ–प्रथम, लखनऊ के द्वारा पत्र संख्या–40 दिनांक 19.01.2026 से सूचित किया गया है कि अपरिहार्य कारणों से फैजाबाद (अयोध्या) जनपद में दिनांक 22.01.2026 से दिनांक 23.01.2026 तक गठित खण्ड पीठ में सम्मिलित होने में असमर्थ है।

अतएव उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 1552/2025 दिनांक 16.12.2026 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, जनपद फैजाबाद (अयोध्या) में दिनांक 22.01.2026 से 23.01.2026 तक गठित युगल पीठ में सदस्य पीठ–1 लखनऊ के स्थान पर न्यायिक सदस्य पीठ–1 इलाहाबाद को नामित किया जाता है। उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0/19.01.2026
(रमेश चन्द–1)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/ 95 /2026 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, लखनऊ/पीठ–1, इलाहाबाद/पीठ–2, कानपुर/ पीठ फैजाबाद (अयोध्या)।

2– वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ ।

3– प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/वेव अधिकारी/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

प्र0निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।